प्राचीन बौद्ध धर्म और महिलाएँ

Bhanu Prakash Soni

Assistant Professor-History, R.D. Girls College Bharatpur

सारांश

प्राचीन भारतीय महिलाओं की स्थिति समय, शासक और स्थान के अनुसार ऐतिहासिक रूप से बदलती रही है। भारतीय महिलाएँ अपने ज्ञान और विज्ञान में योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध रही हैं। विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संदर्भ में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक काल में महिलाएँ पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति में थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। इस काल में महिलाओं को पुरुषों के समक्ष भागीदारी का अवसर नहीं मिलता था। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उनकी तुलना विषैले सर्प से की जाने लगी और उनके साथ दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाने लगी।

बौद्ध धर्म ने इस गिरावट को चुनौती दी और महिलाओं को सम्मानित स्थान प्रदान किया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोल दिए। बौद्ध धर्म ने यह स्वीकार किया कि महिलाएँ भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, बौद्ध मठों में निवास कर सकती हैं और बौद्ध भिक्षुणी बन सकती हैं। बौद्ध काल में महिलाओं को बौद्ध धर्म के साथ-साथ विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी।

महिलाओं की रचनात्मकता और उनके अनुभवों को थेरिगाथा में संकलित किया गया ताकि आने वाली बौद्ध भिक्षुणियों के लिए यह ज्ञान एक मार्गदर्शन का कार्य करे। कई महिलाओं को निर्वाण प्राप्त करने की घटनाओं का उल्लेख विनय पिटक जैसे पाली बौद्ध ग्रंथों में मिलता है।

मुख्य शब्द: वैदिक-उत्तरवैदिक, बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणी, तेवज्जा, थेरिगाथा-थेरागाथा, बौद्ध मठ, चीनी यात्री।

भूमिका

अन्य प्राचीन धर्मों जैसे वैदिक धर्म और जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म में महिलाओं की स्थिति काफी भिन्न और विशिष्ट रही है। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से सम्मानजनक थी। वे पुरुषों के समान धार्मिक गतिविधियों और विद्या अर्जन में सक्रिय भागीदारी निभाती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते-आते महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में सीमित भाग लेने की अनुमति मिली, और धीरे-धीरे उन्हें इन गतिविधियों से पूर्णतः वंचित कर दिया गया। बौद्ध धर्म ने इस सामाजिक असमानता को चुनौती दी और महिलाओं को दो महत्वपूर्ण स्तरों पर भागीदारी का अवसर प्रदान किया। पहला, महिलाओं को भी निर्वाण प्राप्ति का अधिकार दिया गया। दूसरा, जो महिलाएं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहती थीं, उनके लिए अलग बौद्ध संघ स्थापित किए गए।

शुरुआती बौद्ध काल या उसके आगमन से पहले के दशकों में महिलाओं की स्थिति त्रिस्तरीय अधीनता से परिभाषित थी। बचपन में वे पिता पर निर्भर रहतीं, युवावस्था में पति की आज्ञाकारिणी बनतीं, और वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रित हो जातीं। पिता, पति और पुत्र को महिलाओं के संरक्षक माना जाता था। बौद्ध धर्म में भी महिलाओं की इस अधीनता को किसी हद तक स्वीकारा गया, लेकिन उन्हें वासना की वस्तु और पुरुषों के भक्ति मार्ग में बाधा के रूप में देखा गया। उन्हें सांप की तरह घातक और आग की तरह विनाशकारी माना जाता था। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कठोर नियम बनाए गए, जिनका पालन सभी के लिए अनिवार्य था। ये नियम ब्रह्मचर्य और पवित्रता बनाए रखने के लिए थे। भिक्षुणियों को पुरुष भिक्षुओं से दूरी बनाए रखने के निर्देश थे, और यह अनुशासन दोनों के लिए समान रूप से लागू होता था।

भगवान बुद्ध शुरू में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश देने के प्रति अनिच्छुक थे। लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह और महाप्रजापति गौतमी (जो उनकी मौसी थीं) के बार-बार निवेदन करने पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध धर्म अपनाने और संघ में प्रवेश की अनुमति दी। हालांकि, यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई थी। बौद्ध ग्रंथ *विनय पिटक* में इस संदर्भ में उल्लेख मिलता है कि भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश देने को धर्म के लिए दीर्घकालिक रूप से हानिकारक बताया। उन्होंने आनंद से कहा कि महिलाओं के प्रवेश के कारण बौद्ध धर्म की आयु 1000 वर्ष के स्थान पर केवल 500 वर्ष रह जाएगी।

महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश से पहले कुछ नियमों का पालन करना होता था। उदाहरण के लिए, वे गर्भवती नहीं होनी चाहिए, ताकि उन पर घर से भागकर आने का संदेह न हो। साथ ही, उन्हें अपने माता-पिता, पति, या पुत्र की अनुमति लेकर संघ में प्रवेश करना अनिवार्य था। इन कठोर शर्तों के बावजूद, बौद्ध धर्म ने महिलाओं को सामाजिक और आध्यात्मिक विकास का एक ऐसा मंच प्रदान किया, जो अन्य धर्मों में दुर्लभ था। बौद्ध संघ में महिलाओं, विशेषकर भिक्षुणियों, को संघ के नियमों, कानूनों और आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य था। इन भिक्षुणियों को न केवल अपने लिए निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ता था, बल्कि उन्हें भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का भी पालन करना होता था। इस प्रकार, बौद्ध भिक्षुणियों पर दोहरे नियमों का पालन करने का दबाव था।

भिक्षुणियों को बौद्ध संघ में समायोजित करने और उन्हें अनुशासित बनाए रखने के लिए आठ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य था। ऐसा माना जाता है कि ये आठ नियम भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए। इन नियमों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ *विनय पिटक* में मिलता है। हालांकि, इन नियमों के बावजूद, यह धारणा प्रचलित थी कि महिलाओं में निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता तो है, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उन्हें पहले पुरुष के रूप में जन्म लेना आवश्यक माना गया।

बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आठ नियम

1. **भिक्षुओं को अभिवादन का नियम:** किसी भी भिक्षु का दर्जा चाहे जूनियर हो, समकक्ष हो, या वरिष्ठ, भिक्षुणियों को हमेशा भिक्षु का आदरपूर्वक अभिवादन करना होता था। भिक्षुणी को भिक्षु की उपस्थिति में हाथ जोड़कर खड़ा रहना और प्रणाम करना तब तक जारी रखना होता था जब तक वह भिक्षु वहाँ से चला न जाए।
2. **उपदेश और उपोसथ तिथि का ज्ञान:** भिक्षुणियों को प्रत्येक पक्ष में भिक्षुओं से उपोसथ की तिथि और बौद्ध सिद्धांतों का उपदेश प्राप्त करना आवश्यक था ताकि वे उन सिद्धांतों का अनुसरण कर सकें।
3. **अनुशासनहीनता पर परीक्षा:** यदि कोई भिक्षुणी अनुशासनहीनता में लिप्त पाई जाती, तो उसे दोनों संघों (भिक्षु और भिक्षुणी) के समक्ष मनन्ता अनुशासन के अंतर्गत परीक्षा देनी होती थी। इसके बाद ही वह संघ में वापसी कर सकती थी।
4. **वर्षा ऋतु में नियम:** भिक्षुणियों को वर्षा ऋतु के दौरान एकांतवास से बचना पड़ता था। जिस स्थान से भिक्षु पलायन कर जाते, भिक्षुणियों को भी वहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा न करने पर उनके शोषण का खतरा बढ़ सकता था।
5. **त्रिपठनीय निमंत्रण का पालन:** भिक्षुणियों को भिक्षुणियों, भिक्षुओं, और भिक्षुओं के बीच के निमंत्रणों को स्वीकार करना होता था। यह नियम भिक्षुणियों को समुदाय के अनुशासन में बनाए रखने के लिए था।
6. **दो वर्षों तक उपवास:** भिक्षुणियों को प्रारंभिक दो वर्षों तक दोपहर के बाद भोजन न करने का अतिरिक्त उपवास रखना पड़ता था। यह व्रत उनके नैतिक अनुशासन को सुदृढ़ करने के लिए था।
7. **भिक्षुओं की आलोचना पर रोक:** भिक्षुणियों को भिक्षुओं की आलोचना या उनकी बुराई करने से बचना होता था, चाहे स्थिति कुछ भी हो। उन्हें अपने आचरण को उच्च नैतिक मानकों के अनुसार बनाए रखना आवश्यक था।
8. **भिक्षु का अधिकार:** यदि कोई भिक्षुणी अनुशासनहीन होती, तो भिक्षु उसे डांट-फटकार सकते थे, लेकिन भिक्षुणियों को भिक्षुओं को लताड़ने का अधिकार नहीं था। किसी भी समस्या के समाधान के लिए भिक्षुणियों को वरिष्ठ भिक्षुओं के पास जाकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखनी होती थी।

विद्वान बौद्ध महिलाएं

बौद्ध साहित्य में कई विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए, *संयुक्त निकाय* में खेमा नामक विदुषी महिला का वर्णन है, जिसका प्रवचन राजा प्रसेनजित ने सम्मानपूर्वक सुना। इसी तरह, *अंगुत्तर निकाय* में विशाखा और धम्मदीना जैसी विद्वान भिक्षुणियों का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने स्वयं विशाखा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक ज्ञानवान और गुणी महिला हैं, जिससे सभी को सीखना चाहिए। धम्मदीना और विशाखा के संवाद और बुद्ध की ओर से उनकी सराहना बौद्ध साहित्य में उनकी विद्वता और महत्व को दर्शाते हैं। इन विद्वान महिलाओं ने न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को गहराई से समझा, बल्कि उनके प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार, बौद्ध संघ में महिलाओं की भूमिका सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक विकास के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

प्राचीन भारतीय साहित्य में महिलाओं की स्थिति और उनकी उपलब्धियों को उजागर करने वाले ग्रंथों में *थेरीगाथा* एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ग्रंथ पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है और इसमें बौद्ध भिक्षुणियों की साधना, अनुभव और आत्मबोध की कहानियां वर्णित हैं।

थेरीगाथा में वर्णित गीतों और कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं ने बौद्ध धर्म के अनुशासन में रहते हुए उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कीं। अरहंत पद, जिसे सामान्यतः पुरुषों का विशेषाधिकार माना जाता था, महिला बौद्ध भिक्षुणियों ने भी प्राप्त किया। इसके उदाहरणों में चंदा नामक ब्राह्मण कन्या की कहानी शामिल है, जिसने अपने माता-पिता की असामयिक मृत्यु के बाद पताचारा नामक बौद्ध भिक्षुणी के मार्गदर्शन में संघ में प्रवेश किया और निब्बान की प्राप्ति की। इन गीतों के गहरे अर्थ यह भी दर्शाते हैं कि महिला बौद्ध विदूषियों ने धर्म और ध्यान में उत्कृष्टता प्राप्त की। उनके अनुभव न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की कहानियां हैं, बल्कि यह भी प्रमाणित करते हैं कि आध्यात्मिकता और ज्ञान की प्राप्ति में महिला और पुरुष समान हैं। विशेष रूप से, *थेरीगाथा* में पताचारा और विशाखा जैसी विदुषी महिलाओं के जीवन प्रसंग बौद्ध धर्म में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं इन महिलाओं की विद्वता और नैतिकता की सराहना की, जिससे यह सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करता था।

संदर्भ:

1. सराओ, के. टी. एस. (1990). *अर्बन सेंटर एंड अर्बनाइजेशन एज रिफ्लेक्टेड इन द पाली विनय एंड सुत्त पिटक* (द्वितीय संस्करण). दिल्ली: डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 2007।
2. सिंह, उपेन्द्र (2008). *प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, पाषाणकाल से 12वीं शताब्दी तक.* दिल्ली।
3. नार्मन, के. आर. (1966). *थेरीगाथा.* लंदन: पी.टी.एस।